2015 का विधेयक संख्यांक 4

हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) विधेयक, 2015

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) विधेयक, 2015

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम।
2. नई धारा 8—आ का अन्तःस्थापन।

2015 का विधेयक संख्यांक 4

हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) विधेयक, 2015

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम संख्यांक 18) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) अधिनियम, 2015 है। संक्षिप्त नाम।

2. हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1974 की धारा 8–अ के पश्चात् निम्नलिखित धारा 8–आ अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :– नई धारा 8–आ का अन्तःस्थापन।

"(8–आ). चकौतादारों को साम्पत्तिक अधिकार प्रदान करना.––इस अधिनियम की धारा 4 और 5 में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उन चकौतादारों को, जिन्हें पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 के अधीन, इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व पंचायतों द्वारा चकौते के आधार पर भूमि पट्टान्तरित की गई है, साम्पत्तिक अधिकारों को प्रदान करने हेतु उपबन्ध करने के लिए एक स्कीम विरचित कर सकेगी।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1974 तारीख 29–8–1974 को प्रवृत्त हुआ जो हिमाचल प्रदेश राज्य में ग्राम शामलात भूमि के निधान और उपयोग के लिए उपबन्ध करता है। उक्त अधिनियम की धारा 4, पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन पंचायतों द्वारा दिए गए पट्टों पर व्यवहार का उपबंध करती है। सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, ऐसे कुल 1237 (जिला सोलन में 981, जिला कांगड़ा में 184, जिला हमीरपुर में 36 तथा जिला ऊना में 36) मामले हैं जिनमें पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 के अधीन पंचायतों द्वारा चकौते के आधार पर चकौतादारों को भूमि आबंटित की गई थी। इन पट्टेदारों (चकौतादारों) ने ऐसी भूमि को कृषि/बागवानी प्रयोजनों के लिए विकसित कर लिया है और ऐसी भूमि पर उन्होंने अपने निवास–गृह और गौशालाएं भी बना ली हैं। वे ऐसी भूमि पर पूर्ण स्वामित्व के आधार पर साम्पत्तिक/स्वामित्व अधिकार की लगातार मांग कर रहे हैं। वर्तमानतः, हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1974 में ऐसे चकौतादारों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करने का कोई उपबंध नहीं है और उक्त अधिनियम के अधीन राज्य में निहित भूमि को केवल उक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों के अनुसार ही उपयोग में लाया जा सकता है। इसलिए, उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत और अनावश्यक मुकद्दमेबाजी की बहुलता से बचने के लिए, पूर्वोक्त अधिनियम में सामर्थ्यकारी उपबन्ध करके इन मामलों को अन्तिमतः निपटाने तथा इन चकौतादारों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करने का विनिश्चय किया गया है। अतः नई धारा 8–आ, जो इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा एक स्कीम की विरचना करने के लिए उपबंध करे, अन्तःस्थापित करने का विनिश्चय किया गया है। इसलिए उपरोक्त अधिनियम में संशोधन करना अनिवार्य हो गया है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(कौल सिंह ठाकुर)
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :
तारीख : ....., 2015.

वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 2 राज्य सरकार द्वारा स्कीम बनाने के लिए उपबंध करता है। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) विधेयक, 2015

हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम संख्यांक 18) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

(कौल सिंह ठाकुर)
प्रभारी मन्त्री।

(देवेन्द्र कुमार शर्मा)
प्रधान सचिव (विधि)।

शिमला :

तारीख : ....., 2015

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 4 OF 2015.

THE HIMACHAL PRADESH VILLAGE COMMON LANDS VESTING AND UTILIZATION (AMENDMENT) BILL, 2015

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE HIMACHAL PRADESH VILLAGE COMMON LANDS VESTING AND UTILIZATION (AMENDMENT) BILL, 2015

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses :

1. Short title.
2. Insertion of new section 8-B.

Bill No. 4 of 2015.

THE HIMACHAL PRADESH VILLAGE COMMON LANDS VESTING AND UTILIZATION (AMENDMENT) BILL, 2015

(As Introduced in the Legislative Assembly)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Village Common Lands Vesting and Utilization Act, 1974 (Act No. 18 of 1974).

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Village Common Lands Vesting and Utilization (Amendment) Act, 2015.

Insertion of new section 8-B.

2. After section 8-A of the Himachal Pradesh Village Common Lands Vesting and Utilization Act, 1974, the following section 8-B shall be inserted, namely :—

"8-B. Conferment of proprietary rights on Chakotadars.— Notwithstanding anything contained in sections 4 and 5 of this Act, the State Government may, by notification in the Official Gazette, frame a Scheme providing for conferment of proprietary rights on Chakotadars, who have been leased out lands on Chakota basis by the Panchayats under the Punjab Village Common Lands (Regulation) Act, 1961, before the commencement of this Act.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Village Common Lands Vesting and Utilization Act, 1974 came into force with effect from 29-8-1974 which provides for vesting and utilization of village common lands in the State of Himachal Pradesh. Section 4 of the said Act provides for treatment of leases made by the Panchayats under the provisions of Punjab Village Common Lands (Regulation) Act, 1961. As per information available with the Government, total 1237 cases (981 in district Solan, 184 in Kangra, 36 in Hamirpur and 36 in district Una) are there in which lands were allotted by the Panchayats under the Punjab Village Common Lands (Regulation) Act, 1961 on Chakota basis to Chakotadars. Since, these lessees (Chakotadars) have developed such lands for agricultural/ horticulture purposes and have also made their dwelling houses and cowsheds on such lands. They are constantly demanding proprietary/ownership rights over such lands, on free hold basis. Presently, there is no provision in the Himachal Pradesh Village Common Lands Vesting and Utilization Act, 1974 to provide ownership rights to such Chakotadars and the lands vested in the State under the said Act can only be utilised as per provisions of section 8 of the said Act. Thus, keeping in view of above facts and to avoid multiplicity of unnecessary litigation, it has been decided to finally settle these cases and to confer ownership rights on these Chakotadars by making enabling provision in the Act *ibid*. As such, it has been decided to insert a new section 8-B which may provide for framing of a Scheme by the State Government for this purpose. This has necessitated amendment in the Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve the above objectives.

(KAUL SINGH THAKUR)
Minister-in-Charge.

SHIMLA :

The ....., 2015.

FINANCIAL MEMORANDUM

—NIL—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 2 of the Bill seeks to provide for framing of a Scheme by the State Government. The proposed delegation of power is essential and normal in character.

THE HIMACHAL PRADESH VILLAGE COMMON LANDS VESTING AND UTILIZATION (AMENDMENT) BILL, 2015

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Village Common Lands Vesting and Utilization Act, 1974 (Act No. 18 of 1974).

(KAUL SINGH THAKUR)
Minister-in-Charge.

(DEVENDER KUMAR SHARMA)
LR-cum-*Principal Secretary (Law).*

SHIMLA:

The....., 2015.